

92

न्याय मंत्रालय श्रीमान् राजस्व मन्त्रालय म.प्र. प्रदेश न्याय विभाग

राजस्व निगरानी क्रमांक-

II/निगरानी/डीकमगट/भू.रा.सी/2017/8109

1. मोहन तनय जवार चटार आयु 60 वर्ष
 2. जानकी तनय जवार चटार आयु 52 वर्ष
 3. धनीराम तनय जवार चटार आयु 48 वर्ष
 4. गोरेलाल तनय जवार चटार आयु 45 वर्ष
 5. परमानंद तनय जवार चटार आयु 40 वर्ष
 6. केशरी तनय अमना चटार आयु 40 वर्ष
 7. कल्लू तनय रामदास चटार आयु 55 वर्ष
 8. चिमन तनय रामदास चटार आयु 50 वर्ष
 9. अलिगराम तनय पुंढी चटार आयु 60 वर्ष
- समस्त निवासीयान ग्राम दोर तहसील जतारा
जिला टीकमगढ म.प्र.

--- आवेदकगण

बनाम

1. अस्तू तनय क्लुआ चटार आयु 65 वर्ष निवासी पुनोल
2. चन्द्र तनय क्लुआ चटार आयु 62 वर्ष निवासी पुनोल
3. जमना तनय हल्के गडीरया आयु 40 वर्ष निवासी दोर
4. दयाराम तनय हल्के गडीरया आयु 37 वर्ष सभी की तहसील जतारा जिला टीकमगढ म.प्र.

--- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गतधारा-50 म.प्र. भू.रा.सी.हता 1959

निगरानी प्रतिकूल विधान अधिनियम न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय, सीकल दिगोडा के सीमांकन प्रकरण क्रमांक-28/अ/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक 6/6/17 वि अनुसार आवेदक के स्वतंत्र एवं अधिभूय की भूमि मे अनावेदकगण की भूमि गलत तरीके से नाप कर बता दी गई है।

अनुमोदित किताब संख्या 2017/8109

श्री. 2वी. 41. अं. 2. राजपूर 2017/8109
हाथ आज दि. 4.9.17
समस्त

Qam

महोदय,

प्राथी/आवेदकगण अपनी निगरानी मे निम्न आरोपों पर विनयी है:-

90

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/3109

मोहन विरूद्ध अस्सू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक दिगौड़ा के प्रकरण क्रमांक 28/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 06-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी दिगौड़ा को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 03-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी दिगौड़ा के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 6.3.2019</p>